रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 जनवरी, 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर निगम, मेरठ

7 जनवरी, 2020 ई०

सं० 1288/पी०ए०-न०आ०/2020—नगर निगम, मेरठ ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (यथा संशोधित) की धारा 541 उपधारा (1) (19) (40) (42) एवं धारा 550 के अर्न्तगत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत "ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016" के अर्न्तगत वांछित व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन एवं विनियमन हेतु उपविधि (प्रारूप) बनायी है। प्रस्तावित उपविधि ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण (Processing) एवं निपटान (Disposal) तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रकरणों के सभी मामलों एवं वस्तुओं के विनियमन के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में प्रस्तावित प्रारूप निम्नवत् है—

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2018

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

(1) इस उपविधि का नाम नगर निगम, मेरठ की "नगरीय ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2018" कहलाएगी तथा सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागु/प्रभावी होगी।

(2) यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अर्न्तगत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगी। इस प्रकार के संशोधन स्थानीय समाचार-पत्र में पर्याप्त नोटिस देकर प्रकाशित किये जायेंगें।

2—लागू होना—

यह उपविधि नगर निगम, मेरठ की सीमा में (भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमाऍ इसमें सम्मिलित मानी जायेगी) लागू होंगी एवं सभी सार्वजनिक स्थलों, सभी ठोस अपशिष्ट उत्पादन करने वालों, प्रत्येक स्वामित्व/ अध्यासन वाले परिसर से सम्बन्धित व्यक्तियों पर जो नगर निगम, मेरठ की सीमा में हैं, पर लागू होगी।

Scanned with CamScanner

3–परिभाषा–

इस उपविधि में जब तक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो उपविधि एवं परिशिष्ट में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा निम्नवत् है–

जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

(1) **"अभिकरण या अभिकर्ता"** से तात्पर्य नगर निगम, मेरठ द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संस्था या एजेन्सी या फर्म या संविदाकर्ता से है, जो उसकी ओर से गलियों की सफाई और अपशिष्ठ के संग्रह, प्रबंधन, परिवहन, भण्डारण, पृथक्कीकरण संग्रहण, यूजर चार्ज, शमन शुल्क के संग्रह आदि कृत्य का निर्वहन करें।

(2) **"जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेडेबेल वेस्ट)"** से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नामित किये जाने योग्य कूड़ा-कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। उदाहरण स्वरूप पेड़-पौधों / जानवरों से जनित अपशिष्ट जैसे रसाई अपशिष्ठ, भोजन फूलों का अपशिष्ठ, पत्तियों / बगीचों का अपशिष्ट, जानवरों का गोबर, मीट / मछली का अपशिष्ट अथवा अन्य कोई पदार्थ जो माईक्रोआर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड / डिकम्पोज हो सकता है।

(3) **"जैवचिकित्सा अपशिष्ट (बायोडिग्रेडेबेल वेस्ट)"** से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो किसी प्राणी या जन्तु के निदान या उपचार के दौरान या अनुसंधान कियाकलापों में या जीवों के उत्पादन या परीक्षण में सृजित हों। इसके अन्तर्गत अनुसूची तीन में उल्लिखित श्रेणियां भी सम्मिलित हैं।

(4) **"शुष्क अपशिष्ट से तात्पर्य"** बायोडिग्रेडेबेल अपषिष्ट और गली के निष्क्रिय कूड़ा करकट से भिन्न अपशिष्ट से है और जिसके अन्तर्गत री-साईक्लेबुल अपशिष्ट, नान-रीसाईक्लेबुल अपशिष्ट, ज्वलनशील अपशिष्ठ और सेनेटरी नैपकिन और डाईपर आदि से है।

(5) **"घरेलू परिसंकटमय (हजार्डस) अपशिष्ट"** से तात्पर्य घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक / हानिकारक अपशिष्टों जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सी०एफ०एल० बल्ब, ट्यूबलाईटें, अवधि समाप्त औषधियों, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियों, प्रयुक्त सुईयों तथा सिरिंज और संदूषित पट्टीयों आदि से है।

(6) **"बायो–मीथेनेशन से तात्पर्य"** ऐसी प्रकिया से है जिसमें माईक्रोबियल एक्शन द्वारा कार्बनिक पदार्थ का इन्जाइमी डीकम्पोजीशन / ब्रेकिंग डाउन होता है जिसके कारण मीथेन से भरपूर बायोगैस का उत्पादन होता है।

(7) **"द्वार-द्वार संग्रहण से तात्पर्य"** घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों के द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसायटी, बहुमंजिले भवन या अपार्टमैन्ट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत कॉम्पलैक्स या परिसरों में भू-तल पर प्रवेश द्वारा या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने से है।

(8) **"विकेन्द्रित प्रसंस्करण"** से तात्पर्य बायोडिग्रेडेबेल अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिये बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम रीसाईक्लेबुल सामग्रियो की प्रति प्राप्ति करने से है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम् परिवहन करना पडे।

(9) **"ब्रांड ओनर से तात्पर्य"** ऐसी किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी से है जो किसी सामग्री की एक रजिस्टर्ड ब्रैंड लेबल के अन्तर्गत वाणिज्यिक विक्रय करती है।

Scanned with CamScanner

(10) **"निपटान से तात्पर्य"** भू-जल, सतही जल, परिवेशी वायु के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण उपरान्त अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा करकट और सतही नाले की सिल्ट का अंतिम तथा सुरक्षित निपटान से है।

(11) **"नगर निकाय"** से तात्पर्य नगर निगम, मेरठ से है।

(12) **"बृहद अपशिष्ट सृजक (वल्क वेस्ट जनरेटर)"** से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट उत्पादकों से है जो औसतन 100 किलोग्राम की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते हैं तथा इनमें केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राईवेट सैक्टर की कम्पनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन या अन्य प्रयोगकर्ता जैसे कि क्लब, जिमखाना, शादीघर, मनोरंजन परिसर भी शामिल हैं, आदि से है।

(13) **"प्राथमिक संग्रहण"** से तात्पर्य पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को उसके उत्पादन के स्त्रोत जिसके अन्तर्गत घर, दुकानें, कार्यालय और कोई अन्य गैर आवासीय परिसर भी हैं से या किसी संग्रहण बिन्दु या बाहरी स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अवस्थान से संग्रहीत करना, उठाना या हटाना अभिप्रेत है।

(14) **"स्रोत पर संग्रहण"** से तात्पर्य किसी भवन के परिसर या भवनों के किसी समूह के परिसरों के भीतर से नगर निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण से है। इसे "घर-घर संग्रहण" भी कहा जा सकता है।

(15) **"सामुदायिक अपषिष्ट भण्डारण केन्द्र"** से तात्पर्य किसी ऐसी भण्डारण सुविधा से है जिसकी व्यवस्था तथा रख-रखाव नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण हेतु एक या उससे अधिक परिसरों के स्वामियों और अध्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

(16) **"कम्पोस्ट खाद निर्माण से तात्पर्य"** ऐसी नियन्त्रित प्रकिया से है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का जैविकीय अपघटन ऐरोबिक/एनरोबिक अन्तर्ग्रस्त है। इसके अन्तर्गत कृमिक खाद निर्माण भी है, जो जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को वानस्पतिक खाद में परिवर्तित करने हेतु केंचुओं के प्रयोग की एक प्रकिया है।

(17) **"निर्माण व ध्वस्तीकरण सम्बन्धी अपषिष्ट"** से तात्पर्य निर्माण, पुर्ननिर्माण, मरम्मत और ध्वस्तीकरण संकिया से निकलने वाली भवन सामग्री, मलवा और रोड़ी से उत्पन्न अपशिष्ट से है।

(18) **"अपषिष्ठ छटाई केन्द्र"** से तात्पर्य किसी ऐसे अभिहित भूमि शेड छतरी, या ढॉचे से है जो किसी नगर निकाय की या सरकारी भूमि पर जो अपशिष्ट को प्राप्त करने या उसकी छटाई करने के लिए प्राधिकृत किसी सार्वजनिक जगह पर स्थित हो।

(19) **"अपषिष्ट उत्पादक"** से तात्पर्य नगर निकाय की सीमा में नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था से है।

(20) **"निष्क्रिय ठोस अपषिष्ट"** किसी ठोस अपशिष्ट या प्रसंस्करण के अवशेष से है, जिसके भौतिक रासायनिक और जैविक गुणधर्म उसे सफाई सम्बन्धी गड्ढे के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

(21) **"कूडा कचरा से तात्पर्य"** किसी प्रकार का ठोस या तरल घरेलू या वाणिज्यिक कचरा, मलवा या कूडा या किसी प्रकार का धातु आदि के टुकड़े कागज, कपड़ा, लकड़ी खाना, वाहन के परित्यक्त भाग, फर्नीचर या फर्नीचर के भाग, निर्माण से ध्वस्त सामग्री, उद्यान अपशिष्ट, कतरन ठोस बालू या पत्थर और किसी सार्वजनिक स्थान पर जमा की गयी कोई अन्य सामग्री पदार्थ या वस्तु से है।

Scanned with CamScanner

(22) "संग्रहण" से तात्पर्य कूड़े कचरे को ऐसे स्थान पर रखने से है जहाँ पर वह गिराया या उतारा जाता है अथवा बह कर आता है, रिसता या अन्य प्रकार से बह कर आता है या किसी सार्वजनिक स्थान में या उस पर उसके गिराने, उतारने, बहकर आने, रिसने या किसी प्रकार से आने की संभावना हो।

(23) "स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह" स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह से तात्पर्य आवासीय या वाणिज्यिक परिसरों के स्वामियों या अध्यासियों के किसी समूह या किसी विषिष्ट पड़ोस के ऐसे स्वामियों या अध्यासियों की सम्पत्तियों या संगठनों से है जो नगर निगम निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्ड के आधार पर परिभाषित किये गये हों, जो इस क्षेत्र में सफ़ाई बनाए रखने और अपशिष्ट में कमी करने, पृथक्करण और पुर्नचक्रण के लिए उत्तरदायित्व लेने के लिए आगे आये हों। प्रतिबन्ध यह है कि वे सहकारी समितियों, के निबन्धक द्वारा पंजीकृत हो और उनके उद्देश्य और प्रयोजन के अन्तर्गत सफाई बनाये रखना और अपशिष्ट के पृथक्करण और पुर्नचक्रण भी सम्मिलित हो और उसे नगर निकाय द्वारा स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह के रूप में अनुमोदित किया गया हो।

(24) "मार्ग बिक्रेता (स्ट्रीट होल्डर)" से तात्पर्य किसी गली, लेन, पार्श्व-पथ, पैदल पथ, खड़न्जा, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर या प्राईवेट क्षेत्र, अस्थायी रूप में निर्मित संरचना या स्थान से स्थान घूम कर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु माल, खाद्य सामग्री या वाणिज्यिक वस्तु के बिक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानान्तरित करने में लगे व्यक्ति से है, जिसके अन्तर्गत फेरीवाला आदि सम्मिलित हैं।

(25) "नगरीय ठोस अपषिष्ट" के अन्तर्गत नगर निकाय में उत्पादित ऐसा वाणिज्यिक, आवासीय और अन्य अपशिष्ट भी हैं जो ठोस या अर्द्धठोस रूप में हों।

(26) "गैर सरकारी संगठन या स्वयंसेवी संगठन"से तात्पर्य नगर के ऐसे गैर सरकारी संगठन से है जो नगर में सिविल सोसायटी संगठन और गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधित्व निकाय है सुसंगत अधिनियमों के तहत पंजीकृत हो।

(27) "अध्यासी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है, जो किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या किसी भवन या उसके भाग का अध्यासी है या अन्यथा रूप से उपयोग कर रहा है।

(28) "स्वामी से तात्पर्य" ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन भूमि या उसके भाग के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग कर रहा है।

(29) "प्रसंस्करण" से तात्पर्य ऐसे किसी वैज्ञानिक प्रसंस्करण से है जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण या भू-भरण स्थल हेतु उपयुक्त बनाने के प्रयोजन के लिए प्रसंस्करण हेतु अभिक्रियित किया गया हो।

(30) "पुनर्चक्रण" से तात्पर्य नये उत्पादों को उत्पादित करने हेतु पृथक्कृत गैर जैव विकृत ठोस अपशिष्ट को ऐसी कच्ची सामग्री में परिवर्तित करने की प्रकिया से है, जो मूल उत्पादों के समान हो सकती है या नहीं हो सकती है।

(31) "कचरा निस्तारण प्रभार से तात्पर्य" नगर निकाय द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन, और निस्तारण के लिए अधिसूचित फीस या प्रभार से है। इसमें विभिन्न प्रकार के लाईसेंसी के लिए यथा प्रयोज्य व्यापार कचरा प्रभार सम्मिलित हैं।

(32) "प्रयोक्ता शुल्क" से तात्पर्य कचरा निस्तारण कार्य के सन्दर्भ में निर्धारित यूजर चार्ज से है।

(33) "पृथक्करण" से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट को विनिर्दिष्टि समूह के जैव नाशित परिसंकटमय जैव चिकित्सीय निर्माण और ध्वंश सामूहिक उद्यान और बागवानी एवं समस्त अन्य अपशिष्ट को पृथक् करने से है।

Scanned with CamScanner

(34) "छंटाई करना" से तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुर्नचक्रण योग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गों जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कॉच आदि को समुचित पुन: चक्रण सुविधा में पृथक करना सम्मिलित है।

(35) "भण्डारण" से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के उस रीति से अस्थायी संग्रहण से है जिससे कि कूड़ा करकट के बिखराव, रोगवाहकों के आर्कषण, आवारा पशुओं और अति दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(36) "परिवहन' से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से है।

(37) "विहित प्राधिकारी" में नगर आयुक्त से सफाई कर्मचारी तक समस्त अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित माने जायेंगे।

• इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो उत्तार प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित है जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

इस उपविधि के अन्तर्गत उपरोक्त दी गयी परिभाषा से सम्बन्धित दायित्वों/कर्तव्यों/कार्यो का विवरण, प्रतिषेध, शास्ति एवं प्रशमन आदि का विवरण निम्नवत् है–

4–अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के सामान्य कर्तव्य–प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता–

(क) उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक शाखाओं अर्थात् बायोडिग्रेडेबेल (गीला कूड़ा) नाम-बायोडिग्रेविल (सूखा कूड़ा) और घरेलू हजार्डस अपशिष्ट के तीन अलग-अलग रंग के डिब्बों क्रमशः हरा, नीला एवं काला में भण्डारित करेगा और समय-समय पर नगर निगम, मेरठ द्वारा निर्गत निर्देश या अधिसूचना के अनुसार पृथक किये गये अपशिष्ट को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालो या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।

(ख) प्रयीग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध करायी गई थैली में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा निर्देशित उपर्युक्त लपेटन (रैपर) सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या नान-बायोडिग्रेविल अपशिष्ट हेतु बनाये गये डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा।

[2] कोई अपशिष्ट उत्पादक उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली/नालों या जलाशयों में न फेकेगा, न जलायेगा और न गाड़ेगा।

[3] सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस अनुसूची–4 का भुगतान करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर निगम, मेरठ की उपविधि में विनिर्दिष्ट किया गया है।

[4] कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति या आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को नगर निगम, मेरठ द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा तथा इस सन्दर्भ में दी गयी अनुमति की सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

[5] प्रत्येक मार्ग बिक्रेता अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य

Scanned with CamScanner

(डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिये उपर्युक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगर निगम, मेरठ द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा अन्यथा समीपस्थ सम्बन्धित अपशिष्ट संग्रह पात्रों में डालेगा।

(6) 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान नगर निगम, मेरठ की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगें। बायोडिग्रेबिल अपशिष्ट का जहॉं तक संभव होगा परिसर के अन्दर संसाधित उपचारित और कम्पोस्टिग करके अथवा बायोमीथेनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर निगम, मेरठ द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

(7) सभी बृहद अपशिष्ट सृजक नगर निगम, मेरठ की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट सृजक द्वारा परिसर के अंदर संसाधित उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायो मिथेनाईजेशन के जरिये निपटान अनिवार्य रूप से किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर निगम, मेरठ द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

3—प्रतिशेध—

(1) कोई व्यक्ति स्वयं या दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी साधन से जान बूझकर या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान, निजी या सार्वजनिक जल निकासी कार्यो से सम्बद्ध नाली, गली, गडढा, संम्वातन पाईप और फिटिंगों में कोई कूडा, कचरा या अपशिष्ट नहीं फेंकेगा या फेंकवायेगा जिससे निम्नलिखित की सम्भावना हो—

- जल निकास और मल नालियों को क्षति पहुॅचाने की,
- नाली एंव मल पदार्थ के निर्बाध प्रवाह या उसके उपचार और व्ययन में बाधा पडने की,
- खतरनाक होने या जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की

(2) कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित लोक सुविधाओं के सिवाय प्रसुविधाओं के किसी सार्वजनिक स्थल पर स्नान नहीं करेगा न ही थूकेगा न पेशाब करेगा न ही उसे विकृत करेगा न पशुओं और चिड़ियों के समूह को खिलायेगा और न ही पशुओं, वाहनों बर्तनों या किसी अन्य वस्तु का प्रक्षालन करेगा।

(3) कोई व्यक्ति स्वामी या अधिभोगी स्वामित्व प्राप्त या अध्यासित किसी परिसर के सामने या उससे संलग्न किसी सार्वजनिक स्थल को किसी प्रकार के अपशिष्ट चाहे वह द्रव्य, अर्द्धठोस या ठोस पदार्थ हो जिसमें मल प्रवाह और अपशिष्ट जल भी सम्मिलित है, से गन्दा नहीं करेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति खुले में शौच/पेशाब न तो स्वयं करेगा और न ही अपने पालक से करायेगा।

(5) पालतु पशुओं के स्वामी किसी भी दशा में उन्हें खुला नहीं छोडेंगे क्योंकि इससे मार्गो/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गन्दगी आवागमन मं अवरोध एवं दुर्घटनाये होने की सम्भावना बनी रहती है।

(6) कोई भी व्यक्ति घाटों, सीढियों, सड़कों के डिवाईडर,नाम पटों, साईनेज या मार्ग दर्शक बोर्डो अथवा

Scanned with CamScanner

इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गन्दगी नहीं करेगा।

(7) कोई व्यक्ति प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं थर्माकॉल आईटम्स का उत्पादन वितरण भण्डारण एवं विक्रय नहीं करेगा।

(8) कोई भी व्यक्ति सड़क मार्ग या अनाधिकृत स्थल पर जानवरों का गोबर, लीद, पचौनी या अन्य इसी प्रकार के पदार्थ न हो डालेगा और न ही डलवायेगा।

(9) कोई भी व्यक्ति जानवरों का पालक/स्वामी ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी नहीं करेगा।

(10) कोई भी व्यक्ति या उसका पालन किसी सार्वजनिक स्थल, सडक, पार्क आदि में अपशिष्ट नहीं डालेगा। इन स्थानों की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालकर गन्दगी करने पर अथवा सफाईकर्मी द्वारा घर-घर से अपशिष्ट एकत्रित करने के बाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा गली या सड़क पर कूड़ा डालते पाया जाता है तो अपशिष्ट को स्थल से हटाकर निस्तारण स्थल तक ले जाने का व्यय सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता से वसूल किया जायेगा।

4–नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रह–

(1) [क] द्वार-द्वार संग्रहण में लगे प्रत्येक सफाईकर्मी को कंटेनरयुक्त हाथठेला/रिक्शा तथा एक घण्टी या सीटी/सायरन उपलब्ध करायी जायेगी। सफाई कर्मी घण्टी या सीटी, सायरन बजाकर सफाई तथा घरों से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य समयावधि में एवं यथा निर्धारित स्वरूप में करेगा और उसे नगर निगम, मेरठ द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ता को सौपेंगा।

(ख) नगर निकाय वैकल्पिक रूप में घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण के लिऐ कन्टेनर वाहन/मोटर वाहन की व्यवस्था कर सकेगा। वाहन चालक घर या बीट में हार्न बजाकर अपने आने की सूचना देगा, स्वामी या अध्यासी अपने घरेलू अपशिष्ट को सीधे कन्टेनर मे डालेगें।

(ग) किसी कारणवश उप नियम क, अथवा ख में अंकित व्यवस्था संभव न होने पर स्वयं सेवी संगठनों, अभिकरणों अथवा ठेकेदारों द्वारा प्रतिदिन घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य कराया जा सकेगा।

(घ) भवन स्वामी या अध्यासी से प्रयोक्ता शुल्क भी वसूला जा सकेगा।

(2) होटल अपशिष्ट का संग्रहण–होटल या रेस्टोरेन्ट द्वारा अपशिष्ट संग्रहण के लिए स्वयं की व्यवस्था की जायेगी। नगर निकाय द्वारा यह व्यवस्था सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी।

(3) शादी घरों, कल्याण मण्डपों एवं सामुदायिक केन्द्रों के अपशिष्ट का संग्रहण–शादी घरों, कल्याण मण्डपों, सामुदायिक केन्द्रों से प्रतिदिन अपशिष्ट संग्रहण के लिए नगर निकायों द्वारा सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी यह व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा अथवा अभिकरण/अभिकर्ताओं द्वारा भी कराई जा सकती है।

(4) वधशाला अपशिष्ट–तथा मृत पशुओं की अस्थियों का निस्तारण वैज्ञानिक रीति से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी। इस अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(5) औद्योगिक अपशिष्ट का संग्रहण परिवहन और निस्तारण– आस्थानों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) अनुपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट–जैसा अनूसूची–3 में सूचीबद्ध है, का विनिर्दिष्ट प्रकार के आच्छादित पात्रों में भण्डारित किया जायेगा और अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा जिसकी व्यवस्था साप्ताहिक समयान्तर से नगर निकाय द्वारा या किसी अभिकरण द्वारा की जायेगी या ऐसे अपशिष्ट के संग्रह

Scanned with CamScanner

के लिए अभिहित केन्द्र को ऐसी रीति से निस्तारण करने के लिए सौंपा जायेगा जो प्रबन्धन और व्यवस्था उपविधि 2016 के अनुसार आदेशित हो।

(7) निर्माण और ध्वस्तीकरण संबंधी अपशिष्ट के भण्डारण और निस्तारण के सम्बन्ध में–लघु सृजकों के लिए यह उत्तरदायित्व पूर्ण होगा कि वह प्रारम्भिक अवस्था में भी पृथक-पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का भण्डारण करेंगें एवं नगर निगम, मेरठ द्वारा निर्धारित स्थल पर उसका परिवहन कर डालेगा, अन्यथा की स्थिति में उत्पादक नगर निकाय या उसके अधिकर्ता से सम्पर्क स्थापित करेंगें जो उत्पादक से पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस को उठाने के लिये वाहन उपलब्ध करायेगा जिसका एक प्रभार होगा। तदोपरान्त इस अपशिष्ट को प्रसंस्करण केन्द्र को भेज दिया जायेगा।

(8) सभी जैव (नानबायोडिग्रेबिल)–अपशिष्ट पुनः प्रयोग करने योग्य और पुनः प्रयोग न करने योग्य अपशिष्ट का भण्डारण प्रत्येक उत्पादक द्वारा पृथक किया जायेगा और उसे निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा, जिसकी व्यवस्था नगर निगम, मेरइ या उसके अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे स्थानों और ऐसे समय पर की जायेगी जैसा कि ऐसे संग्रह करने के लिय समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा या निजी भूमि पर स्थापित लाईसेंस प्राप्त ऐसे अपशिष्ट के छटान केन्द्रों को दिया जायेगा।

वेस्ट पिकर्स–वेस्ट पिकर्स (कूड़ा बिनने वालों का) सर्वेक्षण कर उनका व उनसे संबंधित सहकारी संस्थाओं को चिन्हित किया जायेगा तथा प्रत्येक वेस्ट पिकर्स को पहचान-पत्र दिया जायेगा उन्हें अपने कार्य का प्रशिक्षण देते हुए संग्रह करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

वेस्ट पिकर्स वाली सहकारी संस्थाओं लाईसेंस प्राप्त पुनः प्रयोगकर्ताओं या कवाडियों को, अपशिष्ट संग्रह सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए नगर निकाय के लाईसेंस प्राप्त अभिकर्ताओं के साथ ऐसे अपशिष्ट संचालन के लिए नियुक्त किया जा सकता है। (पुनः प्रयोग करने योग्य अपशिष्ट के प्रकार की विस्तृत सूची अनुसूची दो में दी गयी है)।

(9) उद्यान और बागवानी अपशिष्ट की प्रारंभिक अवस्था में ही कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी। जहां स्थल पर ही कम्पोस्ट खाद बनाना संभव न हो नगर निकाय अधिसूचित उचित फीस लेकर पृथक-पृथक किये गये उद्यान और बागवानी अपशिष्ट का संग्रह और परिवहन जारी रखेगा

(10) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को हाथठेला गाडियों से सामुदायिक अपशिष्ट संग्रह स्थल पर डाला जायेगा।

(11) किसी प्रकार के अपशिष्ट को जलाया नहीं जायेगा।

(12) नाले एवं नालियों के सफाई से निकली हुई सिल्ट के संग्रह एवं परिवहन तथा निपटान हेतु अलग से व्यवस्था की जायेगी।

5–नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण–

(1) प्रत्येक व्यक्ति स्वामी या अध्यासी या अपशिष्ट उत्पादक नगरीय ठोस अपशिष्ट को अपशिष्ट उत्पादन स्रोत के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में पृथक करेगा–

[1] जैव नाशित, (बायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट, (गीला कूडा)

[2] जैव अनाशित, (बायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट, (सूखा कूडा)

जैव चिकित्सीय (बायो मेडिकल) अपशिष्ट घरेलू परिसंकटमय (हर्जार्डस) अपशिष्ट

(2) पृथक्करण के लिए नगर निकाय द्वारा जनजागरण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस हेतु

Scanned with CamScanner

जन कल्याण समितियां गैर सरकारी संगठनों, कक्ष समितियों, तथा नागरिक समूहों को सम्मिलित किया जायेगा।

6–नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण–

(1) नगर निकाय नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण के सुविधाओं की स्थापना और अनुरक्षण इस नीति से करेगा कि आसपास अस्वास्थ्यकर स्थिति उत्पन्न न हो।

(2) भण्डारण सुविधा सुगम स्थल पर होगी।

(3) भण्डारण सुविधा इस प्रकार की हो कि वहाँ किसी प्रकार का अपदूषण तथा गन्दगी न फैले।

(4) नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण व हथालन सुगमतापूर्वक हो सके, अतः यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाना श्रेयस्कर होगा।

(5) जहाँ किसी सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र चाहे वह खुले स्थान में हो या बन्द शेड में जो किसी परिसर में हो या सार्वजनिक स्थान पर स्थित हो, से नगर निकाय वाहनों द्वारा सीधे ही नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रह किया जाता हो वहाँ ठोस को पृथक किये गये अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्था किये गये अनुसार जमा किया जायेगा।

7–सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र–अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का निस्तारण इस हेतु उपबंधित अपशिष्ट वाहनों तथा अपशिष्ट भण्डार केन्द्रों में किया जायेगा जहाँ से नगर निकायों द्वारा संग्रह वाहन ऐसे समय पर संग्रहित करेगा जैसा अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत को समय-समय पर अधिसूचित करें।

8–ढाँचागत सुविधाओं की व्यवस्था–नगर निकाय इस उपविधि के प्रावधानों के अनुपालन में नागरिकों की सहायता करने के लिए पर्याप्त ढाँचागत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। संग्रह सेवाओं के अतिरिक्त कूडा फेंकने के लिए डस्टबीन, सामुदायिक भण्डारण केन्द्र अपशिष्ट छंटान केन्द्र और कम्पोस्ट खाद बनाने के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी जिसमें संगठनों या स्थानीय क्षेत्र के नागरिक समूहों पर आधारित स्थानीय समुदायों की भागीदारी होगी।

किसी भी ग्रुप हाउसिंग सोसाएटी, मार्केट, कॉम्पलैक्स की निर्माण योजना के अनुमोदन से पूर्व भवन योजना में पृथक किए गये संग्रहण और भण्डारण के लिए अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित किये जाने का प्राविधान सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। दिन प्रतिदिन के आधार पर बाजारों से सब्जियों, फलों, फूलों, मांस, कुकुट पालन और मछली बाजार से अपशिष्ट संग्रह करना और इस हेतु स्वास्थ्यकर स्थिति सुनिश्चित करते हुए उचित स्थानों पर विकेन्द्रीयकरण कम्पोस्टिंग प्लान्ट या जैव मीथेनीकरण प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

9–सुविधा और सहायता उपलब्ध कराना–अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी कम्पोस्ट खाद बनाने वाले विषेषज्ञों लाईसेंस प्राप्त कबाडियों, पुन प्रयोग करने वाले व्यापारियों, कूडेदान विनिर्माताओं, पुन प्रयोग करने में सिद्धहस्त अभिकरणों की सूची बनायेगा और उसे प्रकाशित करेगा। ये संगठन इस प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिशा निर्देश और सहायता प्रदान कर सकते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं और क्षेत्रीय नागरिक समूहों के माध्यम से इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न की जायेगी।

10–कूडा कचरा निस्तारण प्रभार एवं प्रयोक्ता शुल्क का लगाया जाना–नगर निकाय होटलों, रेस्तरां और अपशिष्ट के अन्य सृजकों पर कूडा कचरा निस्तारण प्रभार लगायेगा। अपशिष्ट प्रभार का निर्धारण नगर आयुक्त द्वारा अपशिष्ट की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अनुपातिक सिद्धान्त के आधार पर लगाया जायेगा। कूडे के समुचित निस्तारण के लिए प्रयोक्ता शुल्क लगाया जाएगा जोकि अनुसूची–4 में वर्णित दरों के अनुसार होगा जोकि प्रत्येक 02 वर्ष में पुर्नरिक्षित किया जा सकेगा।

42 हि०गा०-7-अ

Scanned with CamScanner

11–कम्पोस्ट खाद को बनाया जाना–अपशिष्ट के सृजकों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे अपने जैव नाशित अपशिष्ट से कम्पोस्ट खाद बनायें और उसे अपने बगीचों और अपने निजी परिसरों में लगाये गये पेड़ों के आसपास के पेड़ों में डालें। इस कार्य से बची हुई कम्पोस्ट खाद को नगर निकाय निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगा।

12–नगरीय ठोस अपषिष्ट का प्रसंस्करण–

(1) जहाँ कहीं सम्भव हो नगर निकाय सार्वजनिक पार्को, क्रीडा स्थल, मनोरंजन स्थल, उद्यानो, अधिक मात्रा में खाली पडी भूमि चाहे वह नगर निकाय या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकारी विभाग के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा अनारक्षित हो पर लघु प्रसंस्करण ईकाईयाँ स्थापित करेगा।

ऐसी ईकाईयों की स्थापना तथा अनुरक्षण गैर सरकारी संगठनों अभिकर्ताओं व्यवस्था अधिकारियो ठेकेदारो, किरायेदारों द्वारा भी की जा सकती है। ये संस्थाएँ स्थानयी समुदाय के लिये नमूनों का प्रदर्शन करेगी और इस प्रकार से कार्य करेगी जिससे समाज या पर्यावरण को कोई असुविधा या हानि न हो।

(2) नगर निकाय नदियों, झीलों, तालावों, पूजा स्थलों आदि के पास कतिपय निर्दिष्ट स्थलों से पूजा सामग्रियों को विशेष पात्रों या कलशकलशों में इकटठा करने हेतु या तो स्वयं दायित्व लेगा या इच्छुक संगठनों को प्राधिकृत करेगा या कम्पोस्टिंग इकाईयों द्वारा विशेष रूप से व्यवस्था की जायेगी।

(3) अपशिष्ट के परिवहन लागत को कम करने ओर अपशिष्ट के स्थानीय प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के वृहत्तर लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से सम्बन्धित अधिकारी से नोटिस प्राप्त करने वाले अपशिष्ट के किसी उत्पादक के लिये यह अपेक्षित होगा कि वह उपयुक्त नोटिस की अवधि के पश्चात् या नोटिस में इस अभिहित स्थलों पर जैव नाशित अपशिष्ट प्रसंस्कृत करें।

(4) नगर निकाय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिये यथा आवश्यक एक से अधिक भूमि भरण स्थलों का चिन्हीकरण विकास और अनुरक्षण करेगी और उसमें ऐसे निष्क्रिय ठोस अपशिष्टों को जो पुनर्चकण अथवा प्रसंस्करण के लिये समुचित न हो डाला जायेगा

(5) पुनर्चक्रण योग्य अपषिष्टों में पुनर्चक्रण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(6) वह अपशिष्ट जो अनुपयोगी हो, ज्वलनशील न हो तथा इनर्ट हो तथा जो अवशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा से छाँटकर निकाला गया हो को, सैनेटरी लैण्डफिल साईट पर निस्तारित किया जायेगा।

(7) छंटे हुए अपशिष्ट को यथा सम्भव रिसाइकिल व रीयुज करने हेतु प्रयास किया जायेगा ताकि जीरो वेस्ट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(8) खुली हुई डम्प साईटस की बायों माईनिंग की व्यवस्था की जायेगी। उपयुक्त न होने पर अथवा अन्यथा की स्थिति में इनकी मानक के अनुसार कैंम्पिग की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जायेगी ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो।

(9) घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केन्द्र की स्थापना, जिसको 10 किलो मीटर क्षेत्रफल के एकत्रीकरण के लिए बनाया जायेगा इन केन्द्रों में घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट जमा करने का समय अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(10) घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट के सुरक्षित भण्डारण एवं परिवहन के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार किया जायेगा।

13–नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन–

नगर आयुक्त, या उनके द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई प्राधिकारी किसी सार्वजनिक या निजी स्थल पर

Scanned with CamScanner

अपशिष्ट एकत्रीकरण का बिन्दु चिन्हित करायेगा। जहाँ नगर निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली गाडी को दिये जाने के लिये एकत्रित अपशिष्ट को लाया जायेगा। कूडा गाडी की सेवाऐं नगर निकाय द्वारा मार्ग (रूट) योजना के अनुरार एकत्रित कूडे को इकटठा करने के लिये उपलब्ध करायी जायेगी। अपशिष्ट के अपविहन हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहन में रखा गया कूडा ढका रहेगा।

14–स्रोत पर ही एकत्रीकरण–

भवन स्वामियों या अध्यासियों द्वारा भवनों या भवन समूहों के परिसर के भीतर उपलब्ध स्त्रोत स्थान से एकत्रीकरण की व्यवस्था की जा सकेगी और नगर निकाय की गाडियां कर्मचारियों द्वारा उस कूडा पात्रों तक ऐसे समय तक पहुंचाई जायेगी जैसा अधिसूचित किया जाये।

15–सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र–

अपवादिक मामलों में जहॉं स्थान–स्थान पर एकत्रीकरण या स्त्रोत पर ही एकत्रीकरण सम्भव न हो, वहाँ नगर निकाय द्वारा सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र का सार्वजनिक सडकों पर या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जहॉं आवश्यक और संभव हो, रख रखाव किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये।

16–अपशिष्ट छटाई केन्द्र–

पुर्नचक्रीय और अपुनर्चक्रीय अपशिष्ट की छटाई कार्य को विनियमित करने तथा सुविधापूर्ण बनाने के लिए संबंधित अधिकारी उतने अपशिष्ट छटाई केन्द्रों की व्यवस्था करेगा जो आवश्यक और संभव हो। सरकारी अथवा अन्य निकायों की भूमि पर हो सकते हैं, जो इस प्रयोजानार्थ विशेष रूप से शेड या गुमटी के रूप में उपयुक्त हो, सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराये जायेगें। इनकी व्यवस्था कूडा बिनने वालों की रजिस्टर्ड सहकारी समितियों या अनुज्ञा प्राप्त रीसाईक्लर्स या नगर निकाय द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत अन्य अभिकरणों द्वारा भी की जायेगी।

अपशिष्ट के लिए "नीले रंग" एवं अपशिश्ट के लिऐ काले रंग के डिब्बे का उपयोग किया जायेगा।

छटाई के बाद अवशेष कूडे को प्रसंस्करण या भूमि भराव के लिए ऐसे छटाई केन्द्रों से कूडा निस्तारण स्थलों पर भेजा जायेगा। ऐसे अपशिष्ट छटाई केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार के कूडे को अधिसूचित दरों पर क्रय एवं बिक्रय का कार्य नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

17–समय सारिणी तथा एकत्रीकरण का मार्ग–

नगरीय ठोस अपशिष्ट के दैनिक तथा साप्ताहिक एकत्रीकरण की समय सारिणी एवं मार्ग का निर्धारित सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अधिसूचित किया जायेगा। इनका विवरण सम्बन्धित कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगा।

18–स्थानीय नागरिक समूह–

स्वयं सहायता समूहों के गठन को सुगम बनाना उन्हें पहचान कर पत्र उपलब्ध कराना और तदोपरान्त घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रह सहित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में एकीकरण को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों अथवा स्थानीय नागरिक समूहों का विनिर्दिष्ट प्रशासनिक प्रभार इकटठा करने हेतु अनुबन्ध के आधार पर नगर निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा, जिससे वे अपने क्षेत्र को साफ रख सकें। पंजीकरण प्रक्रिया मॉडल उपविधियों तथा स्थानीय नागरिक समूहो, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा गैर सरकारी संगठनों हेतु मॉडल अनुबन्ध का प्रारूप नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन पर उपलब्ध करायी जायेगी।

19–सफाई अभियान–

उन क्षेत्रों में जिनको विशेष सफाई अभियान के लिये आवश्यक समझकर चिन्हित किया जाये और जहाँ स्थानीय पार्षद या सदस्य या नागरिक सहयोग के लिये आगे आते हों, सफाई अभियान का आयोजन किया जायेगा। ऐसे विशेष अभियानों के लिये अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।

Scanned with CamScanner

20–जागरूकता व प्रचार–प्रसार शिक्षा और प्रशिक्षण–

नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं स्थानीय नागरिक समूहों, नगर निकायकर्मी और उसके अभिकर्ता नगर के स्कूल, आवासीय समितियॉं, गन्दी बस्तियॉं, दुकानों, फेरी वालो, अपशिष्ट चुनने वालों, संग्रहकर्ता को कार्यालय संकुलों, औद्योगिक इकाईयों वाणिज्यिक यूनियनों सकल ऐरिया सिटीजन ग्रुप आदि से सफाई के सम्बन्ध मे शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाया जायेगा। उसके पश्चात् इन सबकी शिक्षा, जागरूकता, सहभागिता एवं प्रशिक्षण के लिये एक समन्वित योजना एवं रणनीति तैयार कर उसे कार्यान्वित की जायेगी तथा जागरूकता प्रचार–प्रसार शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम में होने वाला व्यय नगर निगम कोष से भुगतान किया जायेगा।

21–अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जनसहभागिता को प्रोत्साहन–

जन सहभागिता और सहयोग से किये गये सफाई कार्य और अपशिष्ट प्रबन्धन के सर्वोत्तम कार्यों के लिये नगर निकाय द्वारा प्रंशसा पत्र और पुरस्कार प्रदान किया जायेगा तथा प्रचारित किया जायेगा तथा अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जनसहभागिता को, प्रोत्साहन कार्यक्रम में होने वाला व्यय नगर निगम कोष से भुगतान किया जायेगा।

22–शिकायतों का निस्तारण–

नगर निकाय इस उपविधि के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु कम्प्लेंट मैनेजमैन्ट सिस्टम को संचालित करेगा याय एक समुचित नया ऑनलाईन कम्प्लेंट सिस्टम तैयार करेगा। शिकायतों और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट के आंकडे ऑनलाईन सिस्टम सिटिजन्स पोर्टल में प्रर्दशित की जायेगी।

23–नागरिकों की सफाई टीम–

नगर आयुक्त, नगर निगम मेरूठ के क्षेत्र में स्वच्छता एवं सफाई कार्यो में विशेष रूचि एवं सहयोग प्रदान करने वाले नागरिकों को स्वच्छताग्राही नामित कर सकता है। सम्बन्धित नागरिक नगर के प्रत्येक वार्ड में सफाई टीम का भी गठन कर सकते हैं ताकि सर्वेक्षण करके सफाई के अनुश्रवण हेतु नियमित रिपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं। इन रिपोर्टो को नगर निकाय कार्मिकों को अग्रसारित किया जायेगा और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया जायेगा ताकि इसके माध्यम से उस क्षेत्र की सफाई और अनुश्रवण हो सके। इसमें नगर निगम निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

24–रूचि की अभिव्यक्ति–

किसी क्षेत्र को साफ रखने का कूडे के पृथक्करण, पुनरावर्तन प्रसंस्करण की सुविधाओं की स्थापना, कम्पोस्टिंग वर्मी बायो–मिथेनीकरण आदि की नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जायेगी। सभी वार्ड कार्यालयों में तथा वेबसाईड पर उपलब्ध रहेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और मूल्यांकन नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

25–आकस्मिक निरीक्षण–

अनुपालन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नगर निकाय की सीमाओं में सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने वार्डो के विभिन्न भागों में किसी भी समय दिन या रात, आकस्मिक जांच करेंगें। किसी उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान पाये जाने वाले कूडे कचरे की सफाई नगर निकाय द्वारा की जायेगी और उसमें अन्तर्ग्रस्त व्यय उल्लंघनकर्ता से वसूला जा सकेगा।

26–नगरीय ठोस अपाशिष्ट प्रबंधन में दायित्व–

(1) मलिन बस्तियों की सफाई के सम्बन्ध में दायित्व–

[क] नगर आयुक्त ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जहॉं जहॉं भी योग्य समुदाय आधारित संगठन आगे आये, वर्तमान में अनाच्छादित क्षेत्रों में उनके वार्डो के अन्तर्गत दत्तक बस्ती योजना का विस्तार करेंगें।

[ख] जहां आवश्यक हो नगर निकाय की गाडी पृथक्कीकृत ठोस अपशिष्ट का संग्रह करने के लिए मलिन बस्ती के बाहर किसी स्थान पर नियत समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

[ग] अपवादिक मामलों में जब तक गाडी की सेवाऍं तत्समय सार्वजनिक मार्ग या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी चिन्हित बिन्दु पर अपेक्षित अन्तराल पर उपलब्ध नही करायी जा सकती हो,

Scanned with CamScanner

नगर निकाय द्वारा मानव सेवित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण कूडादान की व्यवस्था की जायेगी जहाँ कूड़ा उत्पन्न करने वाले के द्वारा अपशिष्ट जमा किया जायेगा और वहां से नगर निकाय ऐसे अपशिष्ट का संग्रह करेगी।

(2) मुर्गी पालन, मछली और बूचडखाना अपशिष्ट उत्पादक के दायित्व–चिन्हित बूचडखानों और बाजारों से भिन्न किसी भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी जो मुर्गी, मछली और बूचडखाना अपशिष्ट को किसी व्यावसायिक गतिविधि के फलस्वरूप उत्पन्न करता है ढकी हुई, स्वच्छ स्थिति में उसका पृथक भण्डारण करेगा और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये नगर निकाय के संग्रह वाहन को विनिर्दिष्ट समय पर दैनिक रूप से पहुंचायेगा तथा अर्थदण्ड की अनुसूची में इंगित अर्थदण्ड का भागी होगा।

(3) ठेले वालों/फेरी वालों के दायित्व–प्रत्येक ठेले वालों या फेरी वालों, सामान बेचने की गतिविधि से उत्पन्न किसी अपशिष्ट के संग्रह के लिए अलग डिब्बे या कूडादान रखेगा। सम्यक् रूप पृथक किये गये अपशिष्ट का नगर निगम की कूडा गाडी या निकाय चिन्हित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण कूडादान तक पहुंचाने का दायित्व कूडा उत्पन्न करने वाले का होगा।

(4) नाली की सफाई का दायित्व–घरेलू नाली वाले भूगृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह घर की नाली में कोई अपशिष्ट नहीं इकटठा करेगा और नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे स्थान और ऐसे समय पर नगर निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये अपशिष्ट संग्रह वाहन तक ठोस अपशिष्ट को पहुंचायेगा। ऐसा करने में विफल रहने पर अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

जहां ऐसे भूगृहादि का स्वामी या अध्यासी घर की नाली की सफाई के लिए नगर निकाय की सेवायें प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसे नगर निकाय से सम्बन्धित वार्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। नगर निकाय द्वारा यथा निर्धारित प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान प्राप्त कर घर की नाली की सफाई कराई जा सकेगी।

(5) पालतू पशु स्वामी का दायित्व–किसी पालतु पशु के स्वामी का यह दायित्व होगा कि गली या सार्वजनिक स्थान पर पालतु पशु द्वारा फैलाई गयी किसी गन्दगी को शीघ्रता से हटा दे अन्यथा ऐसे अपशिष्ट के समुचित निस्तारण के लिए अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

(6) सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह आयोजनकर्ता का दायित्व–सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह (जिसमें जुलूस प्रदर्शनी, सर्कस मेलों या राजनैतिक दलों की रैली, व्यावसायिक धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समारोह, विरोध प्रदर्शन धरना– प्रदर्शन इत्यादि शामिल हो) के लिए जिसमें पुलिस और नगर निकाय की अनुमति अपेक्षित है समारोह या सम्मेलन के संयोजक का यह दायित्व होगा कि उस क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों की सफाई सुनिश्चित करें।

नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिदेय स्वच्छता प्रभार प्रयोक्ता आयोजक से समारोह की अवधि के लिए संबंधित कार्यालय में जमा कराया जायेगा। यह प्रभार केवल सार्वजनिक स्थल की सफाई के लिए होगा। इसमें सम्पत्ति की क्षति आच्छादित नहीं होगी।

(7) निपटान योग्य उत्पादों तथा स्वास्थ्यकर नैपकीनों और डाईपर के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों के कर्तव्य–

[1] निपटान योग्य उत्पादों जैसे टीन, कॉच, प्लास्टिक, पैकेजिंग इत्यादि के सभी निर्माता या ऐसे उत्पादों को बाजार में लाने वाले ब्राण्ड स्वामी अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगें।

[2] गैर नॉन बायोडिग्रेडबुल पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पादो की बिक्री या विपणन करने वाले ऐसे सभी ब्राण्ड स्वामी उनके उत्पाद के कारण उत्पन्न हुए पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस ग्रहण करने के लिए प्रणाली की व्यवस्था करेंगें।

[3] स्वास्थ्य कर नैपकीनों तथा डाईपरों के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनीयों द्वारा अपनी उत्पादों में सभी पुर्नचक्रण योग्य सामग्रियों के प्रयोग की सम्भाव्यता का पता लगायेंगें या अपने स्वास्थ्य कर उत्पादों के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकीन या डाईपर के निस्तारण के लिए एक पाउच या रैपर उपलब्ध करायेगें।

[4] ऐसे सभी विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों को लपेटने और उनका निस्तारण करने के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

27–नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 550 की प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निगम निश्चित करती है कि इस उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना अथवा उल्लंघन के दुष्प्रेरित करना दण्डनीय अपराध होगा। ऐसे व्यक्ति संस्था अथवा अन्य के विरुद्ध नियमानुसार अभियोजन संस्थित किया जायेगा।

28–अपराधों का प्रशमन–इस उपविधि के अधीन दण्डनीय कोई अपराध नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा उक्त कार्यो के लिए अनुबन्धित संस्थाओं द्वारा शमन शुल्क की ऐसी धनराशि के जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित है, वसूल करके प्रशमित शुल्क कि धनराशि का 75 प्रतिशत उसी दिन नगर निकाय कोष में जमा करना होगा व उसकी लिखित सूचना व सूची नगर निकाय के सफाई विभाग में प्रस्तु करनी होगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि संस्थाएँ अपने पास रखेगी और जहां अपराध का इस प्रकार प्रशमन,

(क) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है तो वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में हो तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा।

(ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है वहां प्रशमन से अपराधी दोषमुक्त हो जायेगा।

उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की इच्छा पर अपना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/ कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।

अनुसूची–1

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि– 2018

प्रशमन शुल्क तालिका (ड्राफ्ट)

क्र० स०	उल्लंघन	प्रशमन शुल्क में	प्रत्येक बार पुनः उल्लंघन की दशा में प्रशमन शुल्क	नगर निकाय द्वारा अपशिष्ट उत्पादक के दायित्वों का निर्वहन करने की दशा में प्रशासकीय व्यय की धनराशि
1	2	3	4	5
		रु०		रु०
1	व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी अनाधिकृत स्थल पर किसी–			
	1. अपशिष्ट फैलाना/फेंकना	200	प्रशमन शुल्क का दो गुना	500
	2. थूकना	100	"	250
	3. मूत्र विसर्जन करना	100	"	250
	4. जानवरों को अनिर्दिष्ट स्थान पर खिलाना	500	"	1,500
	5. वाहनों की धुलाई	500	"	1,500
	6. कपड़े धोना	500	"	1,500
	7. सार्वजनिक स्थान, नदी, तालाब या कुंड में गंदगी फैलाना	500	"	1,500
2	मार्ग, पार्क, घाटों आदि सार्वजनिक स्थल, की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर	500	"	1,000

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5
		रु0		रु0
3	घाटों, सीढियों, सडकों के डिवाईडर नाम पटो, साईनेज या मार्ग दर्शक बोर्डो अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गन्दगी करने पर	500	"	1,000
4	पालतु पशुओं को खुला छोडकर मार्गो/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी	500	"	1,000
	आवागमन में अवरोध पैदा करने/कराने वाले पर।			
5	नाले नालियों/ड्रेनेज, सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी करने पर			
	(क) पशु पालक 5 जानवरों तक	1,000	"	5,000
	(ख) पशु पालक 5 जानवरों से अधिक व 25 जानवरों तक	5,000	"	10,000
	(ग) पशु पालक 25 जानवरों से अधिक	10,000	"	20,000
6	डस्टबीन/स्टोरेज कन्टेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाना।	500		शून्य
7	उपकरणा, कपडो अन्य किसी सामग्री की अनिर्दिष्ट स्थल पर धुलाई	500		शून्य
8	किसी परिसर में 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कूडा करकट को बनाये रखना		500	500
9	कानून का उल्लंघन करते हुए शव का अनियमित निस्तारण		1,000	शून्य
10	अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहना			
	(क) डबलिंग यूनिट/भवन/फ्लैट		500	शून्य
	(ख) दुकान/बूथ		400	शून्य
	(ग) माल, मल्टीप्लेक्स, शापिंग आर केड, होटल		5,000	शून्य
	(घ) शैक्षणिक, धार्मिक, अन्य संस्थान		2,000	शून्य
11	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैरी बैगों, प्लास्टिक और थर्माकॉल वस्तुओं की मात्रा का विवरण			
	(1) 100 ग्राम तक			
	(2) 101 ग्राम–500 ग्राम		1,000.00	
	(3) 501 ग्राम–1 किलो ग्राम		2,000.00	
	(4) 1 किलो ग्राम से अधिक			

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
	(5) किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/मिष्ठान/दुकानों/ढावों औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों नालों, नदियों झीलों, तालाबों, पार्को, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेका जाना।		5,000.00 25,000.00 25,000.00	
	6—व्यक्तियों द्वारा किन्ही निजी/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/मिष्ठान/दुकानों/ढावों औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सडकों नालों, नदियों झीलो, तालाबो, पार्को, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेका जाना।		1,000.00	
12	बिना पृथक्कृत किये हुए तथा बिना अलग-अलग निर्धारित बिन में रखे हुए कूड़े को सौंपना—		प्रशमन शुल्क का दो गुना	
	(क) व्यक्तिगत भवन	200		
	(ख) दुकान/बूथ	500		
	(ग) माल, मल्टीप्लेक्स, शापिंग आर केड, होटल	5,000		
	(घ) शैक्षणिक, धार्मिक, अन्य संस्थान	2,000		
	(ड) औद्योगिक भूखण्ड/यूनिट	5,000		
	(च) इवेन्ट ऑरगेनाईजर्स	5,000		
13	वृहद् अपशिष्ट (100 किलोग्राम प्रतिदिन से अधिक) उत्सर्जकों द्वारा अपशिष्ट के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण न करना।	5,000 प्रतिमाह	10,000 प्रतिमाह	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय।
14	विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट	2,000	4,000.00	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय।
15	बायोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर।	5,000	10,000.00	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय।
16	विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट को यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1,000.00	2,000.00	
17	जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	1,000	2,000.00	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5
		रु०	रु०	रु०
18	निर्माण और ढहने के अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से भण्डारण न करने/अधिकृत एजेन्सी को डिलीवरी न करने पर।	500 प्रतिटन	प्रशमन शुल्क का पाँच गुना उपरोक्तानुसार	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय।
19	शुष्क अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500	500.00	
20	उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छंटाई के कूड़े की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1000	2000.00	1000.00
21	अपशिष्ट जलाकर निस्तारण करने पर।	500	1000.00	1000.00
22	खुले में शौच करने पर।	500	1000.00	1000.00
23	पालतू जानवरों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों/सडकों/पार्क मे फेंकना।	500	1000.00	1000
24	घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा और अपशिष्ट की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500	1000.00	1000
25	बिना डिब्बा/अपशिष्ट टोकरी के ठेले वालों/फेरी वालों/दुकानदारों के लिए।	100	200.00	———
26	पालतू रखे गये पशुओं द्वारा कूड़ा फैलाए जाने के लिए।	500	1000.00	1000
27	व्यक्ति/ संस्था / प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनधिकृत रूप से पानी बहाने पर।	1000	2000.00	2000.00
28	मैरिज होम/बैंकट हॉल, सार्वजनिक सम्मेलन/ समारोह के पश्चात् 24 घण्टे के भीतर सफाई न करने के लिए।	5000	10000.00	सफाई करने पर आने वाले वास्तविक व्यय की वसूली एव स्वच्छता डिपॉजिट जब्त कर लेना।

नोट–

1–उपरोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क, चार्जेज के दो वर्षो के उपरान्त पुन: निर्धारण का अधिकार नगर निगम आयुक्त में निहित होगा, इसके पुन: निर्धारण के उपरान्त पूर्व की दरें स्वत: निष्प्रभावी हो जायेगी।

2–अधिकृत अधिकारी/ऐजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित पॉलीथीन/थर्मोकोल अथवा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उत्पादन एवं वितरण उसी स्थान/यूनिट से बार-बार पाये जाने पर उनके द्वारा ऐसी यूनिट को बन्द करने की संस्तुति नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ को की जायेगी एवं इस प्रकार रिपोर्ट प्राप्त होने पर नगर आयुक्त द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐसी यूनिट को बन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जायेगा।

3–यदि अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी या कोई भी सामान्य नागरिक किसी कर्मचारी को खुले मे कूड़ा जलाते हुए पाता है तो वे उसकी रिपोर्ट निकाय के अधिकारी को उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

42 हि०गा०-8-A

Scanned with CamScanner

अनुसूची-2

जैवनाशित और पुनर्चकीय अपशिष्ट की सूची

जैवनाशित अपशिष्ट (उदाहरण स्वरूप)	पुनर्चकीय अपशिष्ट (उदाहरण स्वरूप)
➢ जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है।	➢ पुनर्चक्रीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे शुष्क अपशिष्ट से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री में एक प्रकिया के माध्यम से परिवर्तित किया जा सके और जो मूल उत्पाद के समान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
➢ रसोईघर का अपशिष्ट जिसमें चाय की पत्ती, अण्डे के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके शामिल हैं।	➢ समाचार-पत्र
➢ मांस और हड्डियां	➢ कागज, पुस्तकें, पत्रिकाएँ
➢ उद्यान व पत्तियों का कूड़ा करकट जिसमें फूल भी हैं	➢ शीशा
➢ पशुओं का कूड़ा करकट	➢ धातु के पदार्थ और तार
➢ गोबर	➢ प्लास्टिक
➢ सफाई के बाद घर की गन्दगी	➢ फटे कपड़े
➢ नारियल के छिलके	➢ चमड़ा
➢ राख	➢ रेक्सीन
➢ अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट	➢ रबर
	➢ लकड़ी/फर्नीचर
	➢ पैकिंग के सामान एवं अन्य इसी प्रकार
	➢ अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट

अनुसूची-तीन

जैव चिकित्सीय, अपशिष्ट की सूची

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बेहोशी के दौरान या उनसे सम्बन्धी शोध कार्यो के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।

1—धारदार अपशिष्ट—सुईयाँ, सिरींज, छुरियां, ब्लेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार दोनों हैं।

2—बेकार दवाईयों और साईटोटाक्सिक औषधियाँ—

अवसान तिथि के बाद की दूषित और बेकार दवाईयों के अपशिष्ट।

3—ठोस अपशिष्ट—रक्त और शरीर द्रव से दूषित सामग्री जिनमें रूई, पट्टी, प्लास्टर पट्टी, कपडे की पट्टी, बिस्तर, चादर और रक्त से दूषित अन्य सामग्री।

Scanned with CamScanner

अनुसूची-4

आवासीय/अनावासीय भवनों के परिसर का कूड़ा उठाने के लिए प्रस्तावित प्रयोक्ता शुल्क/यूजर चार्ज

आवासीय	विवरण	दर/प्रतिमाह
1	2	3
		रु0
श्रेणी क	गृहकर से छूट वाले परिवार	30 प्रतिमाह
श्रेणी ख	200 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक आवासीय ईकाई	80 प्रतिमाह
श्रेणी ग	200 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल वाली आवासीय ईकाई	100 प्रतिमाह
श्रेणी घ	हाउसिंग सोसाईटी/ अपार्टमैन्ट प्रति फ्लैट	40 प्रतिमाह
श्रेणी ड़	यात्री धर्मशालाएँ/धर्मशाला	30 प्रतिमाह
अनावासीय/व्यावसायिक		
श्रेणी क	100 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की दुकान	50 प्रतिमाह
श्रेणी ख	100 वर्ग फीट से 200 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की दुकान	100 प्रतिमाह
श्रेणी ग	200 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक की दुकान	150 प्रतिमाह
श्रेणी घ	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सैन्टर 100 छात्र एवं छात्रायें तक	50 प्रतिमाह
	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सैन्टर 101 से 500 छात्र एवं छात्रायें तक	300 प्रतिमाह
	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सैन्टर 501 से ज्यादा छात्र एवं छात्रायें	500 प्रतिमाह
श्रेणी ङ	इंजीनियरिंग कॉलेज, मैडिकल कॉलेज, मैनेजमैन्ट कॉलेज एवं प्राईवेट स्नातक/ स्नातकोत्तर कॉलेज, सैन्टर शॉपिग कम ऑफिस कॉम्पलैक्स, प्राईवेट शिक्षण संस्थाएँ, प्राईवेट हास्पिटल	500 प्रतिमाह
श्रेणी च	बैंक कार्यालय, एलआईसी, कार्यालय आदि एवं गेस्ट हाउस तथा होटल 10 कमरों तक, रेस्टोरैन्ट	500 प्रतिमाह
श्रेणी छ	मैरिज होम, माल्स, बैंकट हॉल, क्लब, सिनेमा हॉल, होटल 10 कमरों से अधिक	1000 प्रतिमाह
श्रेणी ज	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी अस्पताल	200 प्रतिमाह
श्रेणी झ	प्राईवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि 20 बैड तक	500 प्रतिमाह
श्रेणी ञ	प्राईवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम 20 बैड तक	1000 प्रतिमाह
श्रेणी ट	पैथोलॉजी लैब	200 प्रतिमाह
श्रेणी ठ	क्लीनिक	100 प्रतिमाह
श्रेणी ड	अन्य सरकारी कार्यालय/सरकारी स्कूल	100 प्रतिमाह
श्रेणी ढ	दवाईयों की दुकान	150 प्रतिमाह
श्रेणी ण	रिटेल चैन्स (जैसे बिग बाजार, विशाल, मैट्रो बाजार आदि)	1000 प्रतिमाह
श्रेणी त	रोड साईड वैन्डर (वैन्डर जोन सहित)	05 प्रतिमाह
श्रेणी थ	रोड साईड फास्ट फूड कार्नर चाय/जूस की दुकान व चाट हाउस आदि	10 प्रतिमाह
श्रेणी द	गोदाम एवं वेयरहाउस 1000 वर्ग फीट	250 प्रतिमाह
श्रेणी ध	गोदाम एवं वेयरहाउस 1001 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक	500 प्रतिमाह
श्रेणी न	शराब की दुकानें	500 प्रतिमाह

1	2	3
		रु0
श्रेणी प	हाट, मार्केट, साप्ताहिक बाजार	25 प्रतिदिन प्रति स्टॉल
श्रेणी फ	शोरूम, सर्विस सैन्टर व छोटे गैराज	200 प्रतिमाह
श्रेणी ब	प्रदर्शनी ग्राउन्ड, मेला	100 प्रतिदिन
श्रेणी भ	छोटे और कुटीर उद्योग कार्यशालाएँ (केवल गैर खतरनाक/प्रदूषक) प्रतिदिन 10 कि0ग्राम तक अपशिष्ट	150 प्रतिमाह
श्रेणी म	प्रिंटिंग प्रेस	100 प्रतिमाह
श्रेणी य	पैट्रोल पम्प	200 प्रतिमाह
श्रेणी र	ऐसे भवन जिनमें पालतु पशु (यथा– गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर आदि) पाल रखें हों, जिनका व्यावसायिक उपयोग न किया जाता हो।	20 प्रतिमाह निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त देय होगा
श्रेणी ल	अन्य जो उपरोक्त में छूट गया हो।	जो नगर निगम, मेरठ द्वारा निर्धारित किया जाए।

नोट–

1–प्रयोक्ता शुल्क भुगतान न करने की दशा में नगर आयुक्त या उनके प्राधिकृत अधिकारी को इन उपविधियों में वर्णित की गयी दरों के अनुसार देय धनराशि के अतिरिक्त उसका 20 गुना तक शमन शुल्क वसूल करने का अधिकार होगा।

2–यदि कोई उपभोक्ता एक वर्ष का प्रयोक्ता शुल्क अग्रिम, एडवांस जमा करता है तो वह 01 माह के प्रयोक्ता शुल्क की छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

3–विधवा/बेसहारा महिला एकल रूप से (50 वर्ग मीटर के मकान में स्वयं निवास करती हो) प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा, जिसका प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष नगर निगम, मेरठ से प्राप्त करना होगा। यदि भवन अथवा भवन का आंशिक भाग किराये पर दिया गया है तो वह भवन स्वामी छूट प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।

4–वह वरिष्ठ नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर हो तथा 100 वर्ग मीटर तक के मकान में निवास करता हो, एवं शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो एवं उनके साथ वृद्ध पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई परिवारजन अथवा अन्य सहायक आवासित न हो उनको प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा परन्तु ऐसे वरिष्ठ नागरिक को नगर निगम, मेरठ से इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण कराना होगा।

5–जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपरोक्त अनुसूची-4 की सीमा में नहीं आयेगें। इनका निस्तारण जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत होगा।

6–प्रयोक्ता शुल्क अनुसूची-4 में वर्णित शुल्क प्रत्येक 2 वर्ष में निगम द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी। पुनरीक्षण का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ में निहित होगा। उपरोक्त उपविधि में पुनरीक्षण के पश्चात् शुल्क में की गयी वृद्धि किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

ह0 (अस्पष्ट),
नगर आयुक्त,
नगर निगम, मेरठ।

Scanned with CamScanner

कार्यालय, नगर पंचायत रूदायन (बदायूं)

16 दिसम्बर, 2019 ई0

सं0 529/न0पं0रू0/2019-20–उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916, अधिनियम संख्या 2 की धारा 128(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत रूदायन (बदायूं) द्वारा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित भवनों अथवा भू-खण्डों को नियन्त्रित करने हेतु गृहकर उपनियम बनाये गये हैं इन उपनियमों को दैनिक जागरण समाचार-पत्र में दिनांक 06 अक्टूबर, 2019 के द्वारा स्थानीय स्तर पर आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये थे निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कोई आपत्ति सुझाव प्राप्त नहीं हुआ इन उपनियमों का नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 (2) के अन्तर्गत शासकीय गजट में अन्तिम रूप से प्रकाशित किया जाना है। यह उपनियम गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू होंगे।

गृहकर-उपनियम, 2019

1– यह कर नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत निर्मित समस्त भवनों पर लगाया जायेगा।

2–कर निर्धारण हेतु नगर पंचायत द्वारा एक सर्वे रजिस्टर तैयार किया जायेगा। जिसमें भवन के सम्पूर्ण भागों की पूर्ण स्थिति अंकित की जायेगी।

3–सर्वे कर्मचारी द्वारा सर्वे किये जाने वाले क्षेत्र के मार्गों, बाजार, आदि का पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा।

4–सर्वे के उपरान्त नगर पंचायत द्वारा क्षेत्र की स्थिति के अनुरूप किराये की दरें पृथक् से अंकित की जायेगी।

5–नगर पंचायत द्वारा वार्षिक किराये में मूल्यांकन के अनुसार ही गृहकर का निर्धारण किया जायेगा।

6–कर का निर्धारण करने के उपरान्त कर पूंजी को समिति के समक्ष आपत्ति के निस्तारण हेतु प्रेषित किया जायेगा।

7–समिति द्वारा आपत्तियों पर की गयी सुनवाई का निर्णय अन्तिम होगा।

8–तदोउपरान्त कर को अन्तिम रूप प्रदान किया जा सकेगा।

9–कर का निर्धारण प्रत्येक 02 वर्ष हेतु किया जायेगा।

10–प्रत्येक 02 वर्ष बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा सर्किल रेट में बढ़ोत्तरी के प्रतिशत के समानुपाती कर वृद्धि स्वतः होती रहेगी।

11–इसके अतिरिक्त त्रिमासी नवीन भवनों का सर्वे कर उन्हें कर से आच्छादित किया जायेगा।

12–कर प्रत्येक वर्ष माह दिसम्बर तक एक मुश्त जमा करना होगा यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वह अपना कर नियत तिथि से पूर्व भी जमा कर सकता है। मार्च के बाद आर0सी0 भेजकर वसूली की जायेगी।

कर की दरें–

13–गृहकर निम्न दरों पर निर्धारित किया जायेगा–

(1) 30 वर्ग मी0 तक नगर में केवल एक मकान होने पर कर मुक्त।

(2) वार्षिक मूल्यांकन का 10 प्रतिशत गृहकर देय होगा।

(3) वार्षिक मूल्यांकन की गणना निम्नलिखित दर (प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह) किराये की दरें (रुपये से) किया जायेगा।

क्र0 सं0	वार्ड सं0	मोहल्ले का नाम	24 मी0 से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			24 मी0 से 12 मी0 तक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			12 मी0 से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन		
			पक्का	अर्द्धपक्का	कच्चा	पक्का	अर्द्धपक्का	कच्चा	पक्का	अर्द्धपक्का	कच्चा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01	बीच	2	1.90	1.80	1	0.90	0.80	0.70	0.60	0.20
2	02	पछायां	2	1.90	1.80	1	0.90	0.80	0.70	0.60	0.20

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	03	रूदैना	2	1.90	1.80	1	0.90	0.80	0.70	0.60	0.20
4	04	अहेरियान	2	1.90	1.80	1	0.90	0.80	0.70	0.60	0.20
5	05	पूर्वी	2	1.90	1.80	1	0.90	0.80	0.70	0.60	0.20
6	06	हरिजन बस्ती	2	1.90	1.80	1	0.90	0.80	0.70	0.60	0.20
7	07	जौहरी	2	1.90	1.80	1	0.90	0.80	0.70	0.60	0.20
8	08	बमनपुरी	2	1.90	1.80	1	0.90	0.80	0.70	0.60	0.20
9	09	ठाकुरान	2	1.90	1.80	1	0.90	0.80	0.70	0.60	0.20
10	10	बारहसैनी	2	1.90	1.80	1	0.90	0.80	0.70	0.60	0.20

14—स्कूल मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, दरगालय,सराय कर मुक्त रहेंगे।

15—कर के निर्धारण में 50 पैसे से कम की राशि छोड़ दी जायेगी तथा 50 पैसे से अधिक को गणना पूरे रुपये में की जायेगी।

16—कर की वसूली नगर पंचायत द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा कर की निर्धारित रसीद जारी की जायेगी और धनराशि प्रत्येक दिन सायं को कर्मचारी द्वारा कार्यालय में जमा की जायेगी।

17—वसूली कर्मचारी को नगर पंचायत द्वारा पहचान-पत्र जारी किया जायेगा। जो अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

ह० (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, रूदायन,
(बदायूं)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेसर्स श्री इन्टरनेशनल, बी-26, सेक्टर-2, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर-201301 की साझेदारी में श्री श्याम सुन्दर खेतान एवं श्री सुनील कुमार खेमका साझीदार थे। दिनांक 18 फरवरी, 2008 को फर्म का पता परिवर्तित "ए-76, सेक्टर-5, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर-201301" एवं साझीदार श्री श्याम सुन्दर खेतान का निवास स्थान "ए-35, सेक्टर-17, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर" किया गया तथा दिनांक 11 अप्रैल, 2019 को पुनः फर्म का पता परिवर्तित कर "डी-191, सेक्टर-63, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर—201309" कर दिया गया है यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

श्याम सुन्दर खेतान,
साझीदार,
मेसर्स श्री इन्टरनेशनल,
वर्तमान पता—डी-191, सेक्टर-63,
नोएडा, जिला—गौतमबुद्धनगर-201309।

सूचना

मेरे सभी अभिलेखों में मेरे पिता का नाम इफ्तेखार उद्दीन दर्ज है जो कि गलत है। उनका सही नाम सैय्यद इफ्तेखार उद्दीन है। भविष्य में उन्हें सैय्यद इफ्तेखार उद्दीन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

आरजू फातमा,
पुत्री सैय्यद इफ्तेखार उद्दीन,
ग्राम—कुतुब पट्टी उर्फ अहियापुर,
पोस्ट—फूलपुर, जिला—प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री संजीव जैन पुत्र श्री हिमलेश कुमार जैन फर्म मेसर्स जी०वी०पी० कन्स्ट्रक्शन 76/10 हालसी रोड, कानपुर नगर से दिनांक 31 जुलाई, 2019 को रिटायर हो गये हैं।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अनिल कुमार गुप्ता,
पार्टनर जी०बी०पी० कन्स्ट्रक्शन,
पुत्र श्री लक्ष्मन प्रसाद गुप्ता,
निवासी-76/10, कुली बाजार,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, एजाज अहमद पुत्र श्री सिवगूतुल्लाह निवासी-मकान न० डी-22

Scanned with CamScanner

अबरार नगर, पिकनिक स्पॉट रोड, कल्याणपुर, लखनऊ सूचित करता हूं कि पहले मेरा नाम "कमर एजाज अहमद" और मेरे पिता का "इरफान अहमद" था। अब मेरा नाम "एजाज अहमद" और पिता का नाम सिवगुतुल्लाह" है। अब मुझे "एजाज अहमद" (EJAZ AHMAD) और मेरे पिता को "सिवगुतुल्लाह" (SIVAGUTULLAH) नाम से जाना जाये।

एजाज अहमद।

NOTICE

I, Shrikant S/o Kaushal Kumar R/o Korama Manauwa, Basti, U.P.-272301 have change my name to Shrikant Chaurasiya for all future purpose.

SHRIKANT.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स नरेन्द्र कुमार मैनी कान्ट्रेक्टर्स, स्थित 116, आवास विकास कालोनी, नूर महल सिविल लाईन्स, रामपुर, उ0प्र0, पिन कोड-244901 (पंजीकरण संख्या एमबीडी-4429) फर्म मे कुल चार साझेदार–नरेन्द्र कुमार मैनी, नरेश कुमार मैनी, श्रीमती संगीता मैनी एव पंकज नारंग थे, साझेदारो की रजामन्दी से दिनांक 01 अगस्त, 2017 को फर्म मे एक नया साझेदार अक्षय कुमार मैनी शामिल किया गया है तथा फर्म के एक साझेदार नरेश कुमार मैनी की मृत्यु होने के कारण उनकी साझेदारी समाप्त हो गयी और दिनांक 01 अगस्त, 2017 को फर्म के दो साझेदार नरेन्द्र कुमार मैनी व श्रीमती संगीता मैनी फर्म से अपनी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करके अलग हो गये है, मृतक व अवकाश ग्रहण साझेदारो का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है। किसी प्रकार का साझेदारो का फर्म पर या फर्म का साझेदारो पर कोई लेन-देन बकाया नही रह गया है, अब फर्म मे कुल दो साझेदार (1) पंकज नारंग (2) अक्षय कुमार मैनी है तथा फर्म मे एव साझेदारो मे किसी प्रकार को कोई विवाद नही है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध मे समस्त विधिक औपचारिकताये मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

पंकज नारंग,
साझेदार,
मेसर्स नरेन्द्र कुमार मैनी,
कान्ट्रेक्टर्स, रामपुर (उ0प्र0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स त्यागी रिसोर्ट 1.5 किमी चरण सिंह तिराहा बुढ़ाना बडौत रोड बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर का नाम परिवर्तित करके मेसर्स त्यागी थीम पार्क पता 1.5 किमी चरण सिंह तिराहा बुढ़ाना बडौत रोड, बुढ़ाना रख लिया है।

सुनील कुमार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मेसर्स पंडित त्रिवेणी सहाय एण्ड सन्स स्टेशन रोड बदायू, जिसके साझेदार क्रमशः विनीत शर्मा व संजीव शर्मा पुत्रगण रमेश चन्द्र शर्मा थे। उक्त फर्म पेट्रोलियम उत्पादों के क्रय-विक्रय का कार्य साझेदारी का विलेख दिनांक 01 अप्रैल, 1996 के आधार पर करती थी। उक्त फर्म के साझेदार संजीव शर्मा की मृत्यु 18 मार्च, 2019 को हो जाने के उपरान्त दिनांक 19 मार्च, 2019 को संजीव शर्मा के स्थान पर उनकी पत्नी लता शर्मा को सम्मिलित किया गया है।

लता शर्मा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम DEV KARAN SHARMA जबकि कुल अभिलेखो मे DEO KARAN SHARMA त्रुटिवश अंकित हो गया है आज के बाद मुझे DEV KARAN SHARMA के नाम से जाना पहचाना जाए एव मेरी जन्म तिथि 14 अक्टूबर, 1959 है।

DEV KARAN SHARMA
पुत्र राम स्वरूप शर्मा,
निवासी F55 शान्ती नगर,
कैण्ट, कानपुर-208004।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एन के एम ट्रान्सपोर्ट, स्थित 117, नूर महल, आवास विकास कालोनी, सिविल लाईन्स, रामपुर उ0प्र0, पिनकोड-244901 (पंजीकरण संख्या एमबीडी-3770) फर्म मे कुल चार साझेदार श्रीमती संगीता मैनी, अक्षय कुमार मैनी, सांवले सरन व गोविन्द सिंह थे साझेदारो की रजामन्दी से दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को फर्म मे दो नये साझेदार श्रीमती अनीता मैनी एव राम प्रताप राज को शामिल किया गया है तथा फर्म के एक साझेदार श्री सांवले सरन की मृत्यु होने के कारण उनकी साझेदारी समाप्त हो गयी और दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को फर्म की एक साझेदार श्रीमती संगीता मैनी फर्म से अपनी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करके अलग हो गयी है, मृतक व अवकाश ग्रहण साझेदारो का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है। किसी प्रकार का साझेदारो का फर्म या साझेदारो पर एव फर्म का साझेदार पर कोई लेन-देन बकाया नही रह गया है, अब फर्म मे कुल चार साझेदार (1) अक्षय कुमार मैनी (2) गोविन्द सिंह (3) श्रीमती अनीता मैनी (4) राम प्रताप राज है तथा फर्म मे एव साझेदारो मे किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध मे समस्त विधिक औपचारिकताये मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

अक्षय कुमार मैनी,
साझेदार,
मेसर्स एन के एम ट्रान्सपोर्ट,
रामपुर (उ0प्र0)।

पी0एस0यू0पी0–42 हिन्दी गजट–भाग 8–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

Scanned with CamScanner